



उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ



पंजीकरण संख्या : 75-4/II-A/359,14-11-1962

प्रधान कार्यालय : सुजानपुरा ओमनगर रोड, आलमबाग बस स्टेशन के सामने, लखनऊ - 226005

email : lekhpal.up@gmail.com

website : lekhpal.wordpress.com

राम मूरत यादव

प्रदेश अध्यक्ष

मो0 : 9456225600

पत्राचार : मो शिवदयाल कम्पाउन्ड,

निकट आई. टी. सी., सहारनपुर 247001 (30प्र0)

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव

प्रदेश महामंत्री

मो0 : 9415281875

पत्राचार : कृष्णा नगर, देवरिया खास,

निकट गीता भवन, हनुमान मन्दिर, देवरिया (30प्र0)

उपाध्यक्षगण

दीपक त्यागी

(पश्चिमी जोन)

मो0 : 9536500281

भूपेन्द्र सिंह

(मध्य जोन)

मो0 : 9198895639

रामपूजन राम

(पूर्वी जोन)

मो0 : 9451510484

कोषाध्यक्ष

विनोद कुमार कश्यप

मो0 : 9760398504

संगठन मंत्रीगण

सुदेश कुमार

(पश्चिमी जोन)

मो0 : 9758547258

मनोज त्रिपाठी

(मध्य जोन)

मो0 : 9415434880

विनोद यादव

(पूर्वी जोन)

मो0 : 9415678593

प्रदेश ऑडिटर

मूलचन्द पटेल

मो0 : 9695863623

पत्रांक 202/मघ/18

दिनांक 27/11/18

सेवा में,

मा0 प्रमुख सचिव राजस्व महोदय,

उ0प्र0 शासन।

विषय:-लेखपालों को लैपटाप उपलब्ध होने तक वरासत एवं हैसियत की आनलाईन प्रक्रिया का बहिष्कार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत ही हैं कि सरकार द्वारा आमजन से जुड़ी आवश्यक सेवाओं व प्रमाणपत्रों को बनवाने के लिये व जनता को अनावश्यक भागदौड़ से बचाने हेतु जनसेवाओं को आनलाईन उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया था। आम जनता को ससमय प्रमाण पत्र निर्गत हो सके इसके लिये शासन द्वारा वर्ष 2014 में स्वयं ही लेखपालों को लैपटाप दिये जाने का निर्णय लिया गया एवं बजट भी जारी कर दिया गया। परन्तु आजतक शासन एवं परिषद में समन्वय न होने एवं अदूरदर्शिता के कारण लेखपालों को लैपटाप उपलब्ध नहीं कराया जा सका जबकि इसके लिये लगातार कई बार बजट भी जारी किया गया। लैपटाप की आशा में लेखपाल लगातार आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों में अपने वेतन से व्यय करते हुये जनहित में कार्य करता चला आ रहा है जिसमें अब तक प्रत्येक लेखपाल के लाखों रुपये व्यय हो चुके हैं। वर्तमान में मा0 परिषद द्वारा वरासत एवं हैसियत प्रमाण पत्र भी आनलाईन जारी करने के निर्देश दिये गये हैं एवं आफलाईन वरासत की सुविधा को भी बन्द कर दिया गया है। वरासत भूमि के अधिकारों के हस्तांतरण की ऐसी व्यवस्था है कि यदि गलती से किसी का नाम गलत दर्ज हो जाये तो वह उसका दुरुपयोग कर सकेगा। लैपटाप न मिलने की स्थिति में लेखपाल को साईबर कैफे में जाकर कार्य करना होगा जो कि असुरक्षित है एवं पासवर्ड चोरी होने की संभावना एवं उसके दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञानित कराना है कि अभी आनलाईन वरासत साफ्टवेयर में भी कई तकनीकी कमियां हैं जिसके सम्बन्ध में कई तहसीलदार (सीतापुर आदि) एवं जिलाधिकारियों (हाथरस आदि) द्वारा भी मा0 परिषद को अवगत कराया गया है। साफ्टवेयर पर या तो वरासत दर्ज नहीं हो पा रही है और अगर दर्ज हो जाती है तो त्रुटिपूर्ण दर्ज हो रही है। जिसके लिये लेखपाल को ही दोषी समझा जायेगा। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 लेखपाल संघ द्वारा दिनांक 19.11.18 को पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया जा चुका है।

महोदय ऐसा प्रतीत होता है कि मा0 परिषद एवं शासन विविध प्रकार के कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मात्र निचले स्तर के कर्मचारियों को आदेश देने भर को रह गये हैं जबकि आदेश के अनुपालन हेतु व्यय होने वाले धन, समय एवं आवश्यक संसाधन की व्यवस्था पर

विचार किया जाना उचित नहीं समझा जाता। शासन स्तर से धनावण्टन होने के बाद भी विगत 4 वर्ष से मात्र 30837 लेखपालों को लैपटाप उपलब्ध नहीं कराये जा सके हैं जबकि उसी समय विद्यार्थियों हेतु आवण्टित धन से लगभग 16 लाख लैपटाप खरीद कर तत्काल विद्यार्थियों में वितरण कर दिये गये थे। इसी प्रकार आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र हेतु लिये जाने वाले यूजर चार्ज में से विभाग के अंश का 5 रुपये प्रति प्रमाण पत्र लेखपालों को दिये जाने के निर्णय दिनांक 16 जुलाई 2018 को 4 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद भी भुगतान करना तो दूर शासनादेश तक भी निर्गत नहीं किया जा सका है। शासन के द्वारा बार-बार खोखले आश्वासन दिये जाने से लेखपाल हताश है और अब अपने निजी व्यय पर आनलाईन कार्य करने की स्थिति में नहीं है।

अतः लेखपालों की हताशा, निराशा एवं शासन/परिषद द्वारा लेखपालों की मांगों पर ध्यान न देकर बिना संसाधन उपलब्ध कराये कार्य कराने की बढ़ती प्रवृत्ति के दृष्टिगत उ0प्र0 लेखपाल संघ की सर्वोच्च समिति की बैठक दिनांक 24.11.2018 में वरासत एवं हैसियत प्रमाणपत्र आनलाईन निर्गत करने के कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। लेखपाल आफलाईन प्रक्रिया के अन्तर्गत पूर्ववत् अपने दायित्वों का निर्वहन करता रहेगा। आनलाईन वरासत हेतु लेखपालों पर दबाव बनाये जाने/उत्पीड़न किये जाने अथवा लैपटाप, नेट पैक एवं 5 रुपये प्रति प्रमाणपत्र यूजर चार्ज का भुगतान उपलब्ध कराये जाने में अत्यधिक विलम्ब होने की स्थिति में लेखपाल आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित समस्त आनलाईन कार्य भी बन्द करने को बाध्य होगा जिसके लिये शासन/मा0 परिषद स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

(ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव)
महामंत्री

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. मा0 अध्यक्ष महोदय, राजस्व परिषद उ0प्र0, लखनऊ।
2. मा0 प्रदेश अध्यक्ष, उ0प्र0 लेखपाल संघ।
3. समस्त जिलाधिकारी महोदय, उ0प्र0।
4. समस्त जनपद व तहसील पदाधिकारीगण उ0प्र0 लेखपाल संघ।

(ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव)
महामंत्री